

I/21016/2023

**Speed post /त्रिव डाक****Violation letter/उल्लंघन पत्र**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/8/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

दिनांक: /10/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

जय-सुरजना चुना पत्थर खान,  
मेसर्स: बिरला सिमेन्ट वर्क्स लिमिटेड,  
सेक्टर-III, माधव नगर, चंदेरिया,  
पोस्ट: सेमलपुर, जिला: चित्तोड़गढ़ - 312021  
राजस्थान। (e-mail: [kashi.singh@birlacorp.com](mailto:kashi.singh@birlacorp.com))

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोड़गढ़ जिले में स्थित आपकी जय-सुरजना चुना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 20/10/2023 and 21/10/2023 by undersign in presence of your good-self, Sri Biswaranjan Mohanty, Mine Manger and Sri Degandra Solanki, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to Modification of Mining Plan approved on 19/07/2021 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) The width and height of the benches are proposed to maintain around 20 and 6 meters respectively in Surjana Pit, whereas during inspection it is observed that width and height of benches are not maintained as per proposal in Surjana Pit (South/Southwest part).</p> <p>(2) Mineral Limestone has been stacked on the non-approved area i.e. east of the Surjana OB dump-1.</p> <p>(3) Dumping of waste was proposed near boundary pillar S, whereas dumping of waste has been carried out on western side of the proposed area. Similarly, waste dumping over Nagri OB Dump-2 has been extended beyond the approved limit.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।  
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

I/21016/2023

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, चित्तोड़गढ़ ।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर